संख्या:104/2019/2525 ई-2/तेरह-2019-83/2015

प्रेषक,

**आलोक कुमार द्विवेदी**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

**विषय: मे. एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज, लि. डिस्टिलरी डिवीजन, जंगरौलीपुल, पीलीभीत को वर्ष में 300 कार्य दिवस के स्थान पर 350 कार्यदिवस तक कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हुए आसवनी की क्षमता 180 लाख ली. वार्षिक से बढ़ाकर 210 लाख ली. वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में।**

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-53/दो-प्रा.डी.-156/एल.एच. शुगर, दिनांक 05-09-2019, पत्र संख्या-जी-82/दो-प्रा.डी.-156/एल.एच. शुगर, दिनांक 28-11-2019 एवं पत्र संख्या-जी-92/दो-प्रा.डी.-156/एल.एच. शुगर, दिनांक 24-12-2019, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

**2.** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मे. एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज, लि. डिस्टिलरी डिवीजन, जंगरौलीपुल, पीलीभीत की अधिष्ठापित क्षमता 60 कि.ली. प्रतिदिन, (300 कार्य दिवस के आधार पर) 180 लाख ली. वार्षिक के स्थान पर 60 कि.ली. प्रतिदिन, (350 कार्य दिवस के आधार पर) 210 लाख ली. वार्षिक इस प्रतिबंध के साथ निर्धारित की जाती है कि आसवनी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यथावश्यक अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही बढ़ी हुयी क्षमता का उपभोग कर सकेगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(आलोक कुमार द्विवेदी)**
अनु सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in